न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3193–पीबीआर/15 विरूद्ध सीमांकन कार्यवाही दिनांक 19–7–14 एवं पारित आदेश दिनांक 2–9–14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 174/अ–12/13–14.

मेसर्स शुभ इस्टेट्स भोपाल द्वारा पार्टनर
रोशन चावला वल्द रामूलाल चावला
निवासी जी 10, आकांक्षा काम्पलेक्स
जोन 1, एम.पी. नगर, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्री आकांक्षा गृह निर्माण सहकारी समिति
द्वारा अध्यक्ष आर.के. ललवानी वल्द के.सी. ललवानी
निवासी 4/4, विन्डसर हिल्स, चूना भट्टी
कोलार रोड, भोपाल
2– स्वामी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
द्वारा अध्यक्ष प्रकाश चंदनानी वल्द भेरूमल चंदनानी
निवासी 77 आदित्य एवेन्यु, फेस–1
एयर पोर्ट रोड, भोपाल
3– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री डी0डी0 मेघानी अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 19–7–14 एवं पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 संस्था द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम बैरागढ़ चीचली तहसील हुजूर स्थित सर्वे नम्बर 372 रकबा 0.230 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु तहसीलदार, तहसील हुजूर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 174/अ–12/13–14 दर्ज कर सीमांकन किया जाकर दिनांक 2–9–14 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में न तो आवेदक को पक्षकार बनाया गया है, और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक के पीठ पीछे किया गया सीमांकन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, अतः बिना पक्ष समर्थन का अवसर दिये उसे दंडित नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और न ही पंचनामा एवं प्रतिवदेन में यह दर्शाया गया है कि अनावेदक कमांक 1 की भूमि के किस भाग पर किस कृषक का कब्जा है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 303 व 259, 1996 आर.एन. 357, 2015 आर.एन. 14, 1998 आर.एन. 106 एवं 2007 (1) विधि भास्कर 1991 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जिस सर्वे कमांक 372/2 का सीमांकन किया गया है, वह नक्शे में अंकित ही नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त सर्वे नम्बर का सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया है,

यह समझ से परे है, क्योंकि सीमांकन नक्शे के आधार पर ही किया जाता है । इसके अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन वैधानिक एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 19–7–14 एवं पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2–9–14 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर